कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।
वन भवन, चतरा – 825401
E-mail : dfo-chatrasouth@gov.in Phone : 8987790213

पत्रांक दिनांक

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, हजारीबाग।

विषयः– राष्ट्रीय उच्च पथ -99 चतरा वाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 (वन भूमि– 51.114 हे0 एवं जंगल झाड़ी– 12.97 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि 11.11.22023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ -99 चतरा वाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849392 हे0 (वन भूमि– 51.114 हे0 एवं जंगल झाड़ी– 12.97 हे0) वन भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है जो निम्नवत है–

1. ऑनलाईन पार्ट–1 के कंडिका A-1(viii) विषयगत पथ निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजित होने हेतु प्रस्तावित है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न ऑफलाईन पार्ट–1 में कुल रकबा 64.0849392 हे0 अंकित है। Villagewise Breakup में रकबा 64.0843 हेक्टेयर, Component Wise Breakup एवं भूमि विवरणी में रकबा– 64.084 हेक्टेयर अंकित है, इस प्रकार कई जगह रकबा में भिन्नता है। पथ निर्माण हेतु अपयोजित होनेवाले वन भूमि का रकबा सभी जगह समान अंकित करना अनिवार्य है।
2. ऑनलाईन पार्ट–1 के कंडिका C-(iii & iv) में अपलोडेड टोपोमैप एवं Geo-reference Map पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम के साथ मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाय।
3. मैनुअल Form-A, Part-I की प्रति पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट–1 के Additional Information में अपलोड करते हुए उसकी प्रति हार्डकॉपी प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
4. विषयगत पथ निर्माण के विरूद्ध NPV, CA मद हेतु माँगी गई राशि से संबंधित आपके द्वारा दिये गये वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट–1 के Additional Information में अपलोड करते हुए उसकी प्रति हार्डकॉपी प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
5. प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की गणना सूची के सारांश में 4149 वृक्षों का डाटा अंकित है जबकि वृक्षों की गणना सूची में 4138 वृक्षों का ही गणना किया गया है। इस प्रकार दोनों में विरोधाभाषी है इसे स्पष्ट किया जाय।
6. प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की गणना सूची के मौजा नगवाँ में एक गणना सूची 1149 वृक्षों का जिसमें सेंटीमीटर अंकित है तथा दूसरा उसी मौजा में 330 वृक्षों का जिसमें मिलीमीटर अंकित है उसे सेंटीमीटर में अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
7. प्रस्ताव में संलग्न मैनुअल Form-A, Part-I में Short Narrative of the proposal and project/scheme for which forest land is required में उल्लेख नहीं है, उल्लेख किया जाय। साथ

Scanned with CamScanner

ही ऑनलाईन पार्ट–1 में डायवर्सन हेतु प्रस्तावति रकबा के अनुरूप ही इसमें रकबा अंकित किया जाय।

8. प्रस्ताव में संलग्न Cost Benefit Analysis में बनाये गये गणना चार्ट में पुराने एन.पी.भी. यानि 6.26/लाख की दर से तैयार है जबकि वर्त्तमान दर 12.28590/लाख की दर से तैयार किया जाना है। अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

9. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में प्लौटवार लम्बाई एवं चौड़ाई अंकित नहीं है।

10. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी 64.084 हे0 का लगा हुआ है जबकि सारांश 64.0849392 हे0 का संलग्न है। दोनों में एकरूपता होनी चाहिए अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अतः उल्लेखित त्रुटियों के निराकरण करने हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक– 2961 दिनांक– 20.12.2023

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

19/12/2023 19.12.23

Scanned with CamScanner